


**REGISTRATION, OPTION/CHOICE FILLING AND LOCKING PROCESS FOR
REAP-2017**

पंजीयन प्रक्रिया (REGISTRATION PROCESS)



विकल्प (OPTION / CHOICE) FILLING

रीप-2017 वेबसाइट पर लॉगिन पश्चात ऑप्शन फार्म खोलें ।

रीप-2017 वेबसाइट पर ऑनलाइन रु. 10,000/- अग्रिम शिक्षण शुल्क के रूप में जमा कराएँ । अग्रिम शिक्षण शुल्क का चालान नंबर तथा transaction ID नोट कर लें ।

अग्रिम शिक्षण शुल्क के रूप में जमा रु. 10,000/- काउन्सलिंग प्रक्रिया पश्चात नियमानुसार समायोजित किये जाएँगे । अधिक जानकारी हेतु “General Instructions REAP-2017” देखें

विकल्प पत्र (Option/ Choice filling form) की प्रक्रिया पूर्ण करें । विकल्प पत्र भरने से पूर्व Seat Matrix अवश्य देख लें । अभ्यर्थी विकल्पों को “Save” अथवा “Submit” कर सकते हैं । एक बार “Submit” करने के बाद विकल्प बदले नहीं

अगर अभ्यर्थी विकल्प पत्र (Option/ Choice filling form) को “Submit” नहीं करता है तो नियत तिथि पर उसे स्वतः ही “Submit” मान लिया जाएगा ।

आवंटन पश्चात आवंटन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे तथा वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड किया जा सकेगा ।

आवंटन पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थिति देनी होगी ।

SEAT ALLOTMENT & UPWARD MOVEMENT STEPS.

<u>राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए काउन्सलिंग/आवंटन</u>	
<p>(I Stage)</p> <p>राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आवंटन</p>	<p>राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में उपस्थिति दर्ज (Reporting) करनी होगी अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति दर्ज (Reporting) हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अभ्यर्थी को आवंटन पत्र की प्रति, निर्धारित फीस (अग्रिम जमा फीस (Advance Fee) के अलावा), सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देनी होगी निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा ➤ सभी मूल दस्तावेज की आवंटित संस्थान में सूक्ष्मता से जाँच की जाकर अभ्यर्थी को में प्रवेश योग्य घोषित कर प्रवेश दिया जा सकेगा इस बाबत संस्थान को अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी ➤ राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करते समय समस्त मूल दस्तावेज आवंटित संस्थान में जमा करवाने होंगे अभ्यर्थी इस बाबत संस्थान से पावति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ➤ आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अति आवश्यक होगा ➤ प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अभ्यर्थी वेब पोर्टल पर अपना स्टेटस (Check candidate status) रिपोर्टेड चेक कर लें
<u>राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए काउन्सलिंग/आवंटन</u>	
<p>(II Stage)</p> <p>राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम काउन्सलिंग/</p>	<p>राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में उपस्थिति दर्ज (Reporting) करनी होगी) अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति दर्ज करने (Reporting) हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अभ्यर्थी को आवंटन पत्र की प्रति, निर्धारित फीस (अग्रिम जमा फीस (Advance Fee) के अलावा), सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देनी होगी निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश

<p>आवंटन</p>	<p>स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा तथा वह उन्नयन (Upgradation/ Upward movement) हेतु अपात्र घोषित कर दिए जाएँगे ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ सभी मूल दस्तावेजों की आवंटित संस्थान में सूक्ष्मता से जाँच की जाकर अभ्यर्थी को प्रवेश योग्य घोषित कर प्रवेश दिया जा सकेगा । इस बाबत संस्थान को अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी । ➤ <u>राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करते समय समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन पश्चात संस्थान में जमा नहीं करवाने होंगे</u> । अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में अपने दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतिलिपि ही जमा करवानी होगी । उन्नयन (Upgradation/ Upward movement) की काउंसलिंग उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निश्चित समय में सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे । ➤ आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अति आवश्यक होगा । ➤ समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को अंतिम तिथि से पूर्व आवंटित संस्थान में मूल दस्तावेज लाकर सत्यापन कराना होगा । सत्यापन कराने में विफल रहने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा । ➤ प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अभ्यर्थी वेब पोर्टल पर लॉगिन पश्चात अपना स्टेटस (Check Candidate Status) के माध्यम से रिपोर्टेड चेक कर लें ।
	<p>ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्थान में उपस्थिति दी दी है (Reported candidate) के पास उन्नयन (Upgradation/ Upward movement) अथवा प्रवेश निरस्तीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा ।</p> <p>राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) की सुविधा उपलब्ध होगी तथा उन्हें वेब पोर्टल पर लॉगिन पश्चात उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) का विकल्प प्राप्त होगा । उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल के माध्यम से उन्नयन के विकल्प को चुनना होगा ।</p>
<p>(III Stage)</p>	<p>अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में बताए सभी स्टेप्स का पालन करना होगा । सभी अभ्यर्थियों को तृतीय चरण की काउंसलिंग उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में निश्चित समय में सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे निर्धारित तिथि तक मूल ।</p>

<p>राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement)</p>	<p>दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा</p> <p>ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्थान में उपस्थिति दी दी है (Reported candidate) के पास प्रवेश निरस्तीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा </p> <p>प्रवेश निरस्तीकरण की अंतिम तिथि 31 July 2017 निर्धारित की गई है </p>
<p>विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग</p>	
<p>(IV Stage) विशेष अंतिम चरण (Special Round)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को पंजीयन करवाना आवश्यक है पूर्ववर्ती चरणों में यदि अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंगमें सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका शुल्क रुपये 700/= (वापसी योग्य नहीं) (non-refundable) निर्धारित किया गया है पंजीयन हेतु आधार नंबर आवश्यक होगा पंजीयन शुल्क रुपये 700/-(non-refundable) का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा रीप-२०१७ वेबसाइट पर किया जा सकेगा ➤ जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के पूर्ववर्ती चरणों हेतु अग्रिम फीस (Advance Fee) रुपये 10000/= मात्र का भुगतान नहीं किया था, वह वेब पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम द्वारा अग्रिम फीस का भुगतान कर विकल्प पत्र भर सकेंगे अग्रिम फीस (Advance Fee) का समायोजन पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्ति पश्चात नियमानुसार किया जावेगा ➤ ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली है, वह सम्बंधित अंतिम रिपोर्टेड संस्थान के माध्यम से अपना प्रवेश निरस्त करवाकर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही 31 जुलाई 2017 तक की गई तो अभ्यर्थी रुपये एक हजार मात्र (रु. 1000/=) अदा कर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है अगर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही 31 जुलाई 2017 के पश्चात् की गई तो अभ्यर्थी रुपये दस हजार मात्र (रु. 10000/=) अदा कर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है ऐसे सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र को संशोधित कर सकेंगे

- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की थी, वह रुपये दस हजार (₹. 10000/=) की अग्रिम फीस राशि का पुनः भुगतान कर है, विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र को संशोधित कर सकेंगे।
- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो विकल्प सीमित होने के कारण पूर्व की काउंसलिंग में प्रवेश नहीं प सके, वह बिना किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करे विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु रीप-२०१७ की वेब साईट के माध्यम से सहमति प्रदान करनी होगी। ऐसे सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र को संशोधित कर सकेंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक विकल्प (Choice) चुनने/भरने की सलाह दी जाती है।
- विशेष अंतिम चरण में आवंटन हेतु मेरिट सूची निम्न वरीयता क्रमानुसार बनाए जाएगी :
 - **B.Tech प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:**
 - प्रथम वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main-2017 की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है।
 - द्वितीय वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है।
 - तृतीय वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main-2017 की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है।
 - चतुर्थ वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है।
 - **B.Arch प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:**
 - प्रथम वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main-2017 (Paper-II) की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है।
 - द्वितीय वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारण हेतु कक्षा-१२ में प्राप्तांकों का 50 % weightage होगा तथा शेष 50 % weightage NATA

	<p>परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का होगा </p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ तृतीय वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main (Paper-II)की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है ➤ चतुर्थ वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है ऐसे सभी अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारण हेतु कक्षा-१२ में प्राप्तांकों का 50 % weightage होगा तथा शेष 50 % weightage NATA में प्राप्त प्राप्तांकों का होगा ➤ अभ्यर्थी चयनित प्राथमिकता क्रम को कितनी भी बार बदल सकता है परन्तु चयनित प्राथमिकता क्रम लॉक (lock) किये जाने पश्चात प्राथमिकता क्रम में कोई भी बदलाव/संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा निर्धारित तिथि तक चयनित प्राथमिकताक्रम को लॉक (lock) नहीं किये जाने की स्थिति में चयनित प्राथमिकता क्रम स्वतः ही लॉक (lock) हो जाएगा ➤ अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया हो जाने के पश्चात् अपना आवंटन लॉगिन पश्चात वेब पोर्टल पर देख सकते हैं आवंटन पत्र वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकते हैं ➤ अभ्यर्थी को आवंटन पत्र की प्रति, निर्धारित फीस, सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देनी होगी ➤ सभी मूल दस्तावेजों की आवंटित संस्थान में सूक्ष्मता से जाँच की जाकर अभ्यर्थी को प्रवेश योग्य घोषित कर प्रवेश दिया जा सकेगा इस बाबत संस्थान को अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी ➤ सभी अभ्यर्थियों को विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में निश्चित समय में सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा
--	--